खण्ड 6

सकारात्मक कार्यवाही

खण्ड 6 परिचय

गैर-बराबरी वाले समाज में वंचित वर्गों के लोग राज्य से अपनी जरूरतों पूरी करने की मदद चाहते है। राज्य जो मदद इन वर्गों को देता है उसे ही हम सकारात्मक कार्यवाही कहते हैं। भारत में, समाज के शोषित वर्गों ने जाति, जेंडर, गरीबी के आधार पर भेदभाव सहन किया है। भारतीय राज्य ने इन वर्गों के लिये सकारात्मक कार्यवाही के रूप में आरक्षण लागू किया है। यह आरक्षण शैक्षिक संस्थाओं एवं विकास की नीतियों से संबंधित है। इस खंड में इकाई संख्या 13 एवं 14 हैं जो कि आरक्षण एवं विकास से संबंधित हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 13 आरक्षण*

संरचना

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 आरक्षण क्या है?

13.3 सांविधानिक प्रावधान

13.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण

13.5 ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण का इतिहास

13.6 केन्द्रिय सरकारी संस्थाओं में ओ.बी.सीज. के लिए आरक्षण

13.6.1 काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट

13.6.2 मंडल आयोग की रिपोर्ट

13.7 राज्यों में ओ.बी.सीज. के लिए आरक्षण

13.8 कर्पूरी ठाकुर फार्मुला

13.9 महिलाओं के लिए आरक्षण

13.10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस) के लिए आरक्षण

13.11 सारांश

13.12 संदर्भ

13.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह समझ सकेंगे :

- आरक्षण के अर्थ की व्याख्या करना;
- आरक्षण की जरूरत पर चर्चा करना; और
- भारत में विभिन्न समूहों के लिए आरक्षण नीतियों की व्याख्या करना।

13.1 प्रस्तावना

सभी मनुष्य समान नहीं है। वे विभिन्न समुदायों में जन्म लेते है जिसमें आर्थिक अवसरों, सामाजिक हैसियत, राजनीतिक अधिकार, शैक्षिक उपलब्धियों आदि का स्तर समान नहीं होता है। इस प्रकार उनकी जरूरतें पूरी करने की समान क्षमता नहीं होती। असमानता का स्तर व्यक्तियों और समुदायों की क्षमताओं के साथ संबंधों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस संदर्भ में, सभी समुदायों के लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन नहीं है। भारत में, जातियों, जनजातियों और लिंग समूहों में तथा गरीब और अमीर के बीच असमानता पाई जाती है। इन समुदायों को एस.सी, एस.टी., ओ.बी.सी., पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर समूह के रूप में जाना जाता है। असमानताओं के चलते सभी समुदाय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समान रूप से सक्षम नहीं हो सकते। सभी

*प्रो. आर.के. बारिक, आई.आई.पी.ए. (सेवानि.), नई दिल्ली

के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिए राज्य को यह जरूरी है कि समाज के कम सुविधा प्राप्त समूहों को विशेष सहायता दी जाये। विशेष सहायता एक प्रतिपूरक कदम है, जो राज्य द्वारा वंचित वर्गों या समूहों को उन असमानताओं के लिये प्रदान की जाती है, जिनका वे पिछले या समकालीन समय में सामना कर रहे हैं। एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी, महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.वी.एस) के लिए आरक्षण प्रतिपूरक उपाय है, जो भारत में वंचित वर्गों को अपना कल्याण प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाते हैं।

13.2 आरक्षण क्या है?

आरक्षण एक उपाय है जिसके माध्यम से कुछ पदों को रोजगार में सुरक्षित किया जाता है तथा संसद, राज्य विधान मंडल एवं स्थानीय निकायों में कमजोर वर्गों - अनुसूचित, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों अथवा ई.वी.एस., के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। आरक्षण का लाभ किसी भी ऐसे समूह द्वारा नहीं किया जा सकता जो कानून द्वारा उनके लिए हकदार नहीं है। आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? समाज के उन वर्गों की सहायता की आवश्यकता है जो राज्य या किसी अन्य अभिकरण की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। क्या आरक्षण अनारक्षित वर्गों के खिलाफ या भेदभावपूर्ण है? यह सकारात्मक अर्थ में भेदभाव पूर्ण है न कि नकारात्मक अर्थ में। इस तरह के भेदभाव के लिए उन्हें राज्य की सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि अनारक्षित वर्ग को बराबर लाया जा सके। इस अर्थ में आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। क्योंकि आरक्षण की पहल राज्य द्वारा की जाती है इसलिए इसे सकारात्मक कार्यवाही भी कहा जाता है। भारतीय राज्य विभिन्न समुदायों को भिन्न आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रमुख आधार सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत जैसी समस्या रही है जिन्हें उन्होंने बहुत समय से अनुभव किया है। जबकि अनुसूचित जनजातियों को उनके भोगोलिक तथा अन्य कारणों से उत्पन्न अभावों के आधार पर आरक्षण दिया गया है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण दिया है। महिलाओं को आरक्षण समाज में उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव एवं पितृसत्ता जैसे मूल्यों के आधार पर दिया गया है। जबकि गरीब वर्गों को उनके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण उन समुदायों को दिया गया है जिन्हें किसी भी वर्ग्र में आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये मूल रूप से उच्च जातियों से संबंध रखते हैं।

13.3 संवैधानिक प्रावधान

एक समतावादी और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के उद्देश्य से अनु. 15 (4) और 16 (4) के अनुसार पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में आरक्षण का आश्वासन देने वाले अनुच्छेदों का समावेश संविधान सभा में वाद-विवाद का परिणाम था। संविधान सभा में आरक्षण के विषय पर तीन तर्क थे। दो तर्कों ने आरक्षण का विरोध किया। तीसरे ने उसका समर्थन किया। आरक्षण का विरोध करने वाले एक तर्क ने रेखांकित किया कि इससे योग्यता और क्षमता में कमी आयेगी। इससे समाज के अंदर बंटवारा पैदा होगा। जबकि दूसरे तर्क ने आरक्षण का विरोध नहीं किया। सैद्धांतिक तौर पर तो विरोध नहीं किया लेकिन यह माना कि इससे समाज में असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता। तीसरा तर्क जिसने आरक्षण को पूरी तरह से समर्थन किया था, उनका मानना था कि पिछड़ी जातियों ने कई सदियों तक भेदभाव का सामना किया है तथा वे आग भी इसका सामना कर रही है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी। इन पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने से समाज में व्याप्त असमानताओं की व्यवस्था का हल किया जा सकता है। संविधान सभा के कई

सदस्यों जिन्होंने आरक्षण का समर्थन किया था, निम्न तर्क दिये थेः- कमजोर तबको को विशेष लाभ देने चाहिए जैसे कि आरक्षण तथा इससे अन्य पिछड़े वर्गों की आशाएं भी पूरी हो जायेगी। आरक्षण को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार ने 1950 में एक अध्यादेश पारित किया। इस अध्यादेश ने एस.सी. और एस.टी. वर्गों की पहचान की जिन्हें आरक्षण दिया जा सके। लेकिन इसने अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान नहीं किया। हालांकि इसने ''पिछड़े वर्ग'' या ''कमजोर वर्ग'' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा यह हुआ कि इसने, दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों का आंदोलन द्रविड़ कड़गम (डी.के.) के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस माँग के प्रत्युत्तर में केन्द्र सरकार ने नेहरू के नेतृत्व में प्रथम संविधान संशोधन पारित किया और संविधान में अनु. 15 में एक उपवंध (4) जोड़ा गया जिसने अनु. 15 (4) को रूप ले लिया था। इस अनु. में सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों की पहचान की गयी थी। 1951 में मद्रास सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें पिछड़े वर्गों एवं एस.सी. के लिए आरक्षण देने की बात थी (शाह सं. 2002)। ओ.बी.सी. वर्गों के लिये आरक्षण केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने आयोग की सिफारिशों के बाद अपने-2 क्षेत्र में लागू किया था। जैसा कि आप इस इकाई में पढ़ेंगे दो आयोगों - 1953 में कालेलकर आयोग एवं 1979 में मंडल आयोग का गठन किया था जिसने पिछड़े वर्गों की पहचान की थी ओर उन्हें केंद्रिय सरकारी संस्थाओं आरक्षण देने की सिफारिश की थी। विभिन्न राज्य सरकारों ने भिन्न-भिन्न समय में आयोग गठित किये थे ताकि पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सके एवं उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकें।

13.4 अनु. जाति एवं जन-जाति के लिए आरक्षण

अनु. जातियों के लिये आरक्षण की उत्पत्ति पूना समझौते से से जुड़ी हुई है। जिस पर गाँधी और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किये थे। पूना समझौते के अनुसार, अनुसूचित जातियों को विधानसभा और संसद में आरक्षण दिया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम, तहत आरक्षण को कानूनी मंजूरी दी गई थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति सदस्यों का प्रतिनिधित्व था जिनका ब्रिटिश भारत में विधायी स्वीकृति थी। संविधान सभा में आरक्षण की चर्चा की गयी। संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें सार्वजनिक संस्थानों में अनु. जाति तथा अनु. जन-जातियों के लिये आरक्षण का सुझाव दिया गया। तदनुसार, आरक्षण के बारे में उपबंध संविधान के अनु. 15 और 16 में शामिल किये गये। 1950 में संविधान में लागू होने के साथ-साथ ये प्रावधान भी प्रभावशील हुए। 1947 में अनु. जाति तथा जन-जातियों के आरक्षण को रोजगार और विधानमंडल में लागू करने का निर्णय लिया गया। 1954 में शिक्षा संस्थानों में इसका विस्तार हुआ। केन्द्र सरकार द्वारा निधिकृत उच्च शिक्षा संस्थाओं में 22.5 प्रतिशत उपलब्ध सीटें अनु. जाति और 7.5 प्रतिशत अनु. जन-जाति के छात्रों के लिए आरक्षित है।

13.5 ओ.बी.सी. आरक्षण का इतिहास

यद्यपि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों जैसे अनु. जाति, अनुसूचित जन-जाति, महिला वर्ग, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन इसका इतिहास औपनिवेशिक काल से ही रहा है। सन 1880 में औपनिवेशिक सरकार के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की। ज्योतिराव फूले ने हंटर आयोग के समक्ष अपील की थी। 1902 में कोल्हापुर के महाराजा साहू जी इन वर्गों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही। आधुनिक भारत के इतिहास में यह पहला उदाहरण है आरक्षण देने का। 1921 में मद्रास सरकार ने समुदाय मुताबिक आरक्षण देने का प्रावधान किया वो इस प्रकार है : 44

प्रतिशत गैर-ब्राह्मणों को, 16 प्रतिशत ब्राह्मणों एवं मुस्लिम, ईसाई और ऑग्ल-भारतीय लोगों, प्रत्येक के लिए।

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) आरक्षण क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) संविधान सभा में आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में क्या-क्या तर्क दिये गये थे?

.....

.....

.....

.....

.....

13.6 केन्द्रिय संस्थाओं में ओ.बी.सीज. के लिए आरक्षण

13.6.1 काका कालेलकर रिपोर्ट

केन्द्रिय स्तर पर आरक्षण आरंभ करने के लिए केन्द्र सरकार ने 1953 में प्रथम ओ.बी.सी. आयोग का गठन किया जिसे कालेकर आयोग कहा गया जिसके अध्यक्ष काका कालेकर थे। कालेकर आयोग में ग्यारह सदस्य थे। इनमें से अधिकांश नीची जाति के थे तथा इसके अध्यक्ष काका कालेकर ब्राह्मण थे जो कि गुजरात के स्वतंत्रता सेनानी थे। उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। ओ.बी.सी. वर्गों की पहचान के लिये कालेकर आयोग ने चार कसौटियों का इस्तेमाल कियाः (1) हिंदू समाज में जाति सोपान में नीची सामाजिक स्थिति, (2) जाति या समुदाय के अधिकतर लोगों में शैक्षिक प्रगति का अभाव या कमी, (3) सरकारी सेवा में अपर्याप्त या कोई प्रतिनिधित्व नहीं तथा (4) व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। कालेकर आयोग ने केन्द्रिय सरकार की सरचनाओं में आरक्षण पाने के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से 2399 जातियों की पहचान की। लेकिन केंद्र सरकार कालकेर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। उसने यह तर्क दिया कि आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड लागू नहीं किये (शाह, सं 2002; जैफरलो 2003) तथा आरक्षण तब तक नहीं दिया जब तक कि अन्य आयोग का

गठन नहीं किया गया। यह मंडल आयोग था जिसे 1993 में लागू किया गया था। अगले उपखण्ड से आप मंडल आयोक के विषय में पढ़ेंगे।

13.6.2 मंडल आयोग की रिपोर्ट

कालेकर रिपोर्ट की सिफारिशों को अस्वीकार करने से पिछड़े वर्ग नाराज हो गये। 1950 के दशक में कालेकर की रिपोर्ट को अस्वीकार किये जाने के समय से लेकर 1990 में वी. पी. सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा तक पिछड़े वर्ग, समाजवादी नेताओं और राजनीतिक दलों तथा किसानों के नेताओं ने केन्द्र में सर्वजनिक स्थानों पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए समर्थन प्राप्त किया। राज्यों में आरक्षण के संबंध में दक्षिण भारत के राज्यों में 1950 से 1970 के दशकों में आरक्षण लागू कर दिया था और उत्तर भारतीय राज्यों में यह माँग अधिक बनी रही। 1970 के दशक के मध्य तक सार्वजनिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाज के लिए एक साझा एजेंडा बन गया। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को किसानों का खासकर जाट, यादव, कुर्मियों का समर्थन था तथा हिंदी बेल्ट में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग फेडरेशन (ए.आई.बी.सी.एफ) का भी बना। 1977-79 में जनता पार्टी ने केन्द्र में सरकार बनाई थी उसमें मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व था। पिछड़े वर्गों की पहचान करते और केन्द्र सरकार के संस्थानों में आरक्षण शुरू करने के प्रयास सुझाने के लिए मोरारजी देसाई सरकार पर दबाव डाला गया और पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने की माँग की गई। इस प्रकार 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष बी. पी. मण्डल थे। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के लिए ग्यारह मापदंड तय किये थे और उन्हें तीन श्रेणियों में रखा। इनमें सामाजिक, आर्थिक और शेक्षिक श्रेणी थी जो कि पिछड़े वर्गों की पहचान कर सके। आयोग ने लगभग 3743 जातियों की पहचान की जो कि पिछड़े वर्ग में आ सके। इनकी जनसंख्या करीब 52 प्रतिशत थी। जैसा कि सब जानते हैं 1931 की जनगणना के बाद जाति जनगणना हुई थी। इसी जनगणना को आधार बनाकर मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों की पहचान की थी।

मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी। इसके बाद इसे लागू करने की माँग उठने लगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के ओ.बी.सी. नेताओं ने इसे लागू करने की माँग उठाई। काँग्रेस से निकलने के बाद वी. पी. सिंह ने जनता दल का गठन किया। जनता दल में कई ओ.बी.सी. नेता भी शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप जनता दल के चुनावी घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिसों को लागू करने को शामिल किया गया था। 1989 के लोक सभा चुनावों में इसे विशेष रूप से घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। इन चुनावों में काँग्रेस की पराजय हुई थी और वी. पी. सिहं ने नेतृत्व (1989-90) में गैर काँग्रेसी दल जनता दल की सरकार बनी थी। यह एक गठबंधन की सरकार थी जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा और वाम-मोर्चा शामिल थे। क्योकि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की माँग घोषणा पत्र में शामिल थी इसलिए वी.पी. सिंह की सरकार ने जुलाई, 1990 में इसे लागू करने की घोषणा की।

इस रिपोर्ट के लागू हाने के बाद देश में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, विशेषकर उत्तर भारत में। कई याचिकाऐं भी इसके खिलाफ दायर हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को एक साथ 1992 में इन्द्रा साहनी बनाम सरकार के मामले में सुनवाई की। इसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विधि को उचित ठहराया। लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगाईः पहली, इन वर्गों के अंदर क्रीमी लेयर लोगों को (आर्थिक रूप से मजबूत) लोगों को

इससे बाहर रखा जाये। उन्हें ओ.बी.सी. आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि गैर क्रीमी लेयर, को आय की न्यूनतम सीमा में रखी गयी है। दूसरी, आरक्षण की अधिकतम सीमा वर्गों को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें एस.सी., एस.टी. के लिए 22.5 प्रतिशत रखी गयी जबकि ओ.बी.सी. के लिये यह सीमा 27.5 प्रतिशत रखी गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को 1993 में स्वीकार कर लिया था। 2006 में यू.पी.ए. ने सरकार ने केन्द्रिय सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में ओ.बी.सी. आरक्षण का विस्तार कर दिया था।

अभ्यास प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) कालेलकर आयोग की रिपार्ट क्या थी?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या थी?

.....

.....

.....

.....

.....

13.7 राज्यों में ओ.बी.सीज. के लिए आरक्षण

काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन से पिछड़े वर्गों में नाराजगी फैल गयी। दक्षिण भारत में पेरियार के नेतृत्व में डी.के. का आंदोलन हुआ और उत्तर भारत में समाजवादी तथा पिछड़े वर्ग की माँग बढ़ती ही जा रही थी। जैसा कि आपने उपखंड 13.6.2 में पढ़ा है मंडल आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त किया गया। 1970 के दशक में, अनेक राज्य सरकारों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े (एस.ई.बी.सी) आयोगों को भी नियुक्त किया। इन आयोगों का उद्देश्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उन्हें अनुसूचित जातियों, जन-जातियों एवं वर्गों को दिये जाने वाले विशेष लाभ जैसे सुझाव देना था। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार ने छेदीलाल सेठी आयोग का गठन किया और बिहार में कर्पूरी ठाकुर वाली जनता पार्टी ने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया ताकि पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सके। उनके लिए आरक्षण

लागू करने के उपाय दिये जा सके। आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 1970 के दशक में दोनों सरकारों रामनरेष यादव सरकार ने उ.प्र. तथा करपूरी ठाकुर की सरकार ने बिहार ने आरक्षण को लागू किया। दक्षिण भारत में अन्य उत्तर भारतीय राज्यों से पहले ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया था।

13.8 कर्पूरी ठाकुर फार्मूला

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधानों की सीमाऐं हैं। इनमें से प्रमुख सीमाऐं इस प्रकार हैः- पिछड़ें वर्गों की जातियों का एक समूह है, जिनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर असमान हैं। अन्य पिछड़े वर्गों में राजनीतिक और आर्थिक रूप में प्रभावशाली कृषि समुदाय जैसे यादव, कुर्मी, जाट, बोकालिण्गा, गुर्जर इत्यादि शामिल है तथा सामाजिक रूप से उपेक्षित जातियां भी थी जो ''जजमानी व्यवस्था'' से जुड़ी थी, जिन्हें हम अति पिछड़े वर्ग (एम.बी.सी.) के रूप में भी जानते हैं। हालांकि इनमें बड़ी संख्या में जातियां है, लेकिन एकल जातियों की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम है। अति पिछड़े वर्गों का आरोप है कि अपनी प्रबल स्थिति के कारण; किसान जातियाँ या मध्यम जातियों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपयुक्त बड़ा हिस्सा प्राप्त करने में सफल रही है। उनकी यह माँग है कि अन्य जातियों के कोटा को विभिन्न जातियों में विभाजित किया जाये। इसकी मांग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उठाई जाने लगी। कर्पूरी ठाकुर सूत्र का सुझाव था कि कोटे को उप-विभाजित किया जाये। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, 1970 में उन्होंने पिछड़े वर्ग को अत्यंत पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ई.बी.सी.) के नाम से विभाजित करके आरक्षण की शुरुआत की थी।

13.9 महिलाओं के लिए आरक्षण

इसकी माँग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उठाई जाने लगी। 1992 और 1993 में संविधान के 72वाँ एवं 73वाँ संशोधन पारित हुए थे जिसमें महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। इन संशोधनों से पूर्व महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं था। आरक्षण ने महिलाओं के बीच विश्वास पैदा किया और उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक बनाया। राजनीतिक संस्थाओं में स्थानीय स्तर पर आरक्षण के लागू होने से पहले ही महिलाओं की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लेकिन व्यवहार में कई कमियां दिखाई दी है। कई मामलों में, महिला प्रतिनिधित्वों के स्थान पर उनके परिवार के सदस्यों जैसे पति, पिता, भाई इत्यादि ने उनका वास्तविक स्थान ले लिया था। औपचारिकता पूरी करने के लिये निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किये लेकिन कुछ अपवाद भी है, जहाँ महिला प्रतिनिधियों ने अपने दायित्वों को स्वतंत्र रूप से पूरा किया। स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन में संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण 1980 के दशक में हुए नये सामाजिक आंदोलनों का परिणाम था। इस आंदोलनों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। संसद और विधान सभाओं जैसे उच्च स्तर की राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की माँग को भी उठाया गया है। इस तरह की माँग नागरिक समाज के संगठनों, बुद्धिजीवियों तथा कई राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त की जाती है। लेकिन इस मामले पर पार्टियों के बीच एक राय नहीं थी। राजनीतिक नेताओं का एक वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध करता है और यह तर्क देता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण पिछड़े वर्गों के हिस्से में कटौती करेगा। संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा करने वाले महिला विधेयक को राज्य सभा में 9 मार्च 2010 को पारित किया। जिसमें 186

सदस्यों ने इसका समर्थन किया, जबकि एक सदस्य ने इसका विरोध किया था। अभी इसे लोक सभा में पारित करना बाकी है फिर यह कानून बनेगा। हालांकि नागरिक समाज के संगठनों की हमेशा यह माँग रही है कि महिलाओं के लिए संसद एवं विधान सभाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिये।

13.10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्लू.एस.) के लिये आरक्षण

भारत में सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन और छुंआछूत के अलावा आर्थिक रूप से गरीब तबका भी है लेकिन वह सामाजिक तौर पर पिछड़ा नहीं है। इन लोगों को सकारात्मक कार्यवाही जैसे कार्यक्रमों यानि आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। ये सामान्यतया सामान्य वर्ग के लोगों है तथा एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. की जैसी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते है। भारत सरकार ने ऐसे वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) माना है या परिभाषित किया है। जनवरी 2019 में, सरकार ने इन वर्गों के लिए केन्द्र सरकार के संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। वह व्यक्ति जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये तक हो वह इस श्रेणी में आता है। इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के 124वें संशोधन विधेयक 2019 में रखा गया है। इस प्रावधान के तहत् केन्द्रिय संस्थानों में भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण प्रदान किया गया है।

अभ्यास प्रश्न 3

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) कर्पूरी ठाकुर फार्मूला क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.बी.एस) में आरक्षण के लिए कौन योग्य है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13.12 सारांश

आरक्षण एक युक्ति है जो कि कमजोर वर्गों जैसे एस.सी., एस.टी. महिलाओं, ओ.बी.सी. अथवा ई.वी.एस. को सार्वजनिक संस्थानों में शामिल करने के लिए राज्य द्वारा विभिन्न नीतियों द्वारा प्रदान किया जाता है। इन नीतियों के बिना, भारत जैसे असमान समाज में, ये वर्ग अपनी आशाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। आरक्षण से राज्य इन वर्गों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं में स्वास्थ्य शैक्षिक, प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं मेंकुछ प्रतिशत पदों को आरक्षित करता है। ये पद आरक्षित पदों के लिए होते है जिन्हें गैर आरक्षित वर्गों के लिए नहीं रखा जा सकता। आरक्षण एक गैर-आरक्षित वर्गों के खिलाफ सकारात्मक कार्यवाही है। इसका लक्ष्य उन वर्गों को राहत पहुँचाना है जो समाज में भेदभाव के शिकार रहे है। आरक्षण राज्य द्वारा किए जाने वाला सकारात्मक कार्य है। आरक्षण संविधान के अनु. 15 (4) एवं 16 (4) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। 1993 में अन्य पिछड़े वर्गो को सरकारी संस्थाओं में आरक्षण मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद मिला था। उन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर आरक्षण मिला। दक्षिण भारत के राज्यों में उत्तर भारत की तुलना में राज्यों में बहुत पहले ही ओ.बी.सीज. आरक्षण दे दिया गया उत्तर-प्रदेश एवं बिहार में पहली बार ओ.बी.सी. आरक्षण जनता पार्टी की सरकार ने 1970 के दशक में दिया था। महिलाओं के लिए आरक्षण स्थानीय स्वशासन में 72वें एवं 73वें संशोधन के बाद 1990 में दिया गया। 2019 में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए आरक्षण ने उनके सशक्तिकरण में काफी योगदान दिया था। तथापि विभिन्न जातियों को आरक्षण दिये जाने के बाद भी आरक्षण का प्रश्न हल नहीं हुआ है। ओ.बी.सी. एवं एस.सी. वर्ग में यह आरोप लगाया जाता है कि ओ.बी.सीज. के प्रभुत्व वर्ग को ही आरक्षण ज्यादा लाभ पहुँचा है। उनकी माँग है कि कुछ सीटों में उनके लिए ओ.बी.सीज. के आरक्षण में विभाजन कर देना चाहिए।

13.13 संदर्भ

ब्लेयर, हेरी (1980), राइजिंग कुलक्स एण्ड बैकवर्ड क्लासेस इन बिहारः सोशल चेंज इन द लेट 1970ज, *ई.पी.डब्ल्यू*, जनवरी, 12.

हसन, जोया (1998), क्वेस्ट फोर पावरः अपोजीशनल मूवमेंट एंड पोस्ट कॉंग्रेस पोलिटिक्स इन उत्तर-प्रदेश, ओ.यू.पी. दिल्ली।

जैफ़रलो, क्रिस्टोफ (2003), ''इंडियाज साइलेंट रिवोल्यूशनः द राइज ऑफ लो कास्ट इन नार्थ इंडियन पोलिटिक्स, दिल्ली.

मंडेलसन, ओलिवर, एण्ड विकजियानी (1998), द अनटचैबिल्सः सेबोर्डिनेशन, पोवर्टी एंड द स्टेट इन मोडर्न इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

शाह, घनस्याम, (1985), ''कास्ट, क्लास एन्ड रिजर्वेशन'', ई.पी.डब्ल्यू, खंड नं.2 3.

शाह, घनस्याम, (1987), ''मिडिल क्लास पोलिटिक्स, केस ऑफ एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट इन गुजरात'' ई.पी.डब्ल्यू, वार्षिक नंबर।

शाह, घनस्याम, (स.) (2002), ''सोशल बैकवर्डनेश एण्ड द पोलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन'', इन कास्ट एण्ड डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स इन इंडिया, परमानेंट ब्लैक, दिल्ली.

सेठ, डी.एल. (1987), ''रिजर्वशंस पोलिसी रिविजिटेड'', ई.पी.डब्ल्यू, वोल्यूम नं. 22, 46, 14 नवम्बर.

13.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) आरक्षण एक प्रकार की युक्ति है जिसमें कुछ सीटें कमजोर वर्गो के लिए आरक्षित की जाती है। इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो समाज में पिछड़े है। गैर-आरक्षित वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते।

2) आरक्षण के पक्ष में एक एवं विपक्ष में दो तर्क दिये गये थे संविधान सभा में। विपक्ष के तर्क इस प्रकार हैः- पहला तर्क यह है कि इससे मेरिट एवं कुषलता पर प्रभाव पड़ता है तथा दूसरा इससे समाज में फैली असमानताओं को दूर करने में कामयाबी नहीं मिलेगी। यद्यपि, यह आरक्षण का विरोध नहीं करता। आरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि यह जरूरी है और ये लोगों की उम्मीदों को पूरी करेगी।

अभ्यास प्रश्न 2

1) कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इस आयेग का गठन सामाजिक और शैक्षिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सीज) की पहचान करना था जो एस.सीज., एस.टीज. से अलग हो, तथा इन वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने का सुझाव देना। इस आयोग ने केन्द्र सरकार की नौकरी में आरक्षण का सुझाव दिया जिसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यह समाज को विभाजित कर देगा।

2) मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था जिसके अध्यक्ष बी.पी. मंडल थे। इसकी रिपोर्ट वी.पी. सिंह सरकार ने लागू की एवं 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और इसे लागू किया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें लगाई जिसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर को इससे दूर रखा जाये तथा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले से ही एस.सीज., एस.टीज. के लिये 22.5 प्रतिशत आरक्षण का गठबंधन था इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27.5 प्रतिशत आरक्षण तय किया।

अभ्यास प्रश्न 3

1) कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के अंतर्गत ओ.बी.सीज. कोटा को विभाजित करके उसे विभिन्न समुदायों में उप-विभाजित किया गया। इस वर्गों को अति पिछड़ा की श्रेणी में रखा गया। इस फार्मूले को को कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 1970 के दशक में ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण शुरू किया।

2) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सामान्य वर्ग में रखा गया है। ये एस.सी.ज., एस.टी.ज. तथा ओ.बी.सीज. से अलग होते हैं। जिनकी वार्षिक आय आठ लाख से कम हो। उनके लिये केन्द्र सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इकाई 14 विकास*

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 विकास का अर्थ और क्षेत्र

14.3 सकारात्मक कार्यवाही, लोकहित और विकास

14.3.1 सकारात्मक कार्यवाही के लिए संविधानिक प्रावधान

14.4 कल्याणकारी योजनाओं द्वारा विकास

14.4.1 भारत के विकास का ढ़ाँचा (Model)

14.4.2 कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा विकास

14.5 विकास के समक्ष चुनौतियाँ

14.6 सारांश

14.7 संदर्भ

14.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह समझ सकेंगे :

- विकास की परिभाषा;
- विकास की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या करना;
- सकारात्मक कार्यवाही और विकास के बीच संबंधों की व्याख्या करना;
- सकारात्मक कार्यवाही और विकास के लिए राज्य की नीतियों के बारे में चर्चा करना।
- सकारात्मक कार्यवाही और विकास के बारे में राज्य की नीतियों को रूप देने के कारकों का विश्लेषण करना।

14.1 प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारत में औपनिवेशिक शासन से कई समस्याओं विरासत मिली थी। साक्षरता की निम्न दर, उच्च स्तर की मृत्यु दर, अस्पृश्यता से चिन्हित सामाजिक असमानता, जेंडर और क्षत्रिय असमानता आर्थिक असमानता, सामंती भूमि व्यवस्था के कारण भूमि की असुरक्षा, सामंती भूमि व्यवस्था, मूल संरचना विकास का अभाव, आदि भारत के पिछड़ेपन के प्रमुख सूचकांक थे। भारत के, संविधान द्वारा निर्देषित और लोकप्रिय एकजुटता के प्रत्युत्तर में, भारत सरकार ने सकारात्मक नीतियों या कल्याणकारी नीतियों की शुरुआत की। इन नीतियों में लोगों के जीवन में, विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आये है। यह इकाई विकास पर केन्द्रित है जो स्वतंत्र भारत में सकारात्मक कार्यवाही या कल्याणकारी नीतियों में माध्यम से प्राप्त की गयी है।

*डॉ. सिद्धार्थ मुकर्जी, ऐसिस्टेंट प्रोफेसर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

14.2 विकास का अर्थ एवं क्षेत्र

विकास समाज के सभी पहलुओं से संबंधित है जिसमें सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक पहलू शामिल हैं। इसमें समाज में परंपरागत से आधुनिक में संरचनात्मक परिवर्तन के चरण शामिल हैं। आमतौर पर इस परिवर्तन से एक पारंपरिक कृषि समाज का आधुनिक औद्योगिक समाज में रूपांतर होने का संकेत मिलता है। सामाजिक विज्ञान में, विकास की अवधारणा को समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में एक और दूसरी तरफ अर्थशास्त्र में, अलग तरह से देखा गया है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बदलाव की दृष्टि से विकास पर विचार किया गया है, जो पारंपरिक समाज तथा आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के बीच संवाद के कारक होता है। विकास की इस समझ के कारण पारंपरिक समाज और आधुनिक संस्थाओं में मौलिक परिवर्तन दिखाई दिया है। इस प्रकार समाज निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर विकास करता है। यह बदलाव आधुनिकता का विकास के रूप में भी देखा जा सकता है। इस तरह के विकास के सिद्धांत को हम आधुनिकीकरण या विकास सिद्धांत कहते हैं। आधुनिकीकरण या विकास के प्रमुख विद्धान राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन, गेब्रियल आमंड और कोलामेन को जाना जाता है जबकि समाजशास्त्र में तालकोट पार्सन्स को जाना जाता है।

कई राजनीति शास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने भारत में आधुनिकीकरण या विकास के सिद्धांत में राजनीति एवं सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया है। आधुनिकीकरण या विकास सिद्धांत गैर-मार्क्सवादी विचार का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी पुस्तक 'द स्टेजेस् ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथः ए नान कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो (1990) में डब्ल्यू-डब्ल्यू रोस्टो ने विकास सिद्धांत को गैर-मार्क्सवादी बताया है। अर्थशास्त्र में विकास की धारणा में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन आया है। इस विषय में परंपरागत विकास ने तरक्की और वितरण को रेखांकित किया है। इसके परिणामस्वरूप इसका अर्थ जनता का कल्याण और मानव विकास हुआ। विकास की कल्याणकारी धारणा का आशय उन नीतियों के माध्यम से प्राप्त विकास से है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी के उन्मूलन मामले में खासकर पिछड़े लोगों के कल्याण के लिये बनाई गयी है। विकास के कल्याणकारी विचारों में राज्य कल्याणकारी नीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। विकास की कल्याणकारी धारणा ब्रिटिश अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्स द्वारा 1964 में रचित अपनी किताब *जनरल थियोरी ऑफ एम्पलोयमेंट, इन्ट्रेस्ट एण्ड मनी* के माध्यम से प्रचारित की गयी। उन्होंने यह तर्क दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पुनर्वितरण की असफलता का सामना करना पड़ रहा है। *यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय को केंद्रीकरण के कारण होता है।* इससे समाज में राजनैतिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। उनकी राय में एक कल्याणकारी राज्य को पूर्ण स्तरीय रोजगार प्राप्त करने की नीतियों का कार्यान्वयन करना चाहिए जिससे समाज का विकास हो सके। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में कल्याणकारी राज्य से बाजार की ओर विकास का फोकस हुआ।। यह अमरीका में रोनाल्ड रीगल एवं यू.के. में माग्रेर थैचर के अधीन हुआ। इससे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में बाजार की भूमिका बढ़ी तथा राज्य के कल्याणकारी नीतियों से पीछे हटने की संभवनाएं पैदा हुई।

तथापि अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के प्रभाव के कारण विकास की अवधारणा का विस्तार हुआ है। ऐसा विशेषकर 1980 के दशक के बाद हुआ। अमर्त्य सेन ने विकास को मानवीय क्षमताओं के आधार पर विश्लेषित किया है। इसका अर्थ यह है कि सभी लोगों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिलना चाहिये। अन्य शब्दों में, विकास का मतलब मानवीय विकास है। विकास की यह अवधारणा वृद्धि की महत्ता की अनदेखी नहीं करती हैं। लेकिन इसके अनुसार वृद्धि को मानवीय क्षमताओं को साथ आगे बढ़ना चाहिये। अपनी पुस्तक ''डेवल्पमेंट

एज फ्रीडम'' में अमर्त्य सेन ने कहा कि यदि लोगों को विकास के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, या अन्य जरूरतों को पूरा किया जाये तो उन्हें अपने जनतांत्रिक अधिकार के रूप में लाभ मिल सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जरूरतों के अभाव से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों में बाधा पड़ सकती है। अमर्त्य सेन ने कहा है कि लोगों के अभाव को दूर करके व्यावहारिक दृष्टि से सही न्याय दिया जा सकता है। न्याय की ऐसी धारणा न्याय की आर्दषवादी धारणा से भिन्न है जो अभावों पर आक्रमण किये बिना उचित न्याय देने की प्रतिज्ञा करती है। उन्होंने अपनी पुस्तक ''आइडिया ऑफ जस्टिस'' (2009) में न्याय और नीति की अवध ारणाओं के माध्यम से आदर्शवादी और यथार्थवादी न्याय की धारणा के बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताया है।

सेन ने न्याय और नीति के भारतीय प्राचीन विधिशास्त्र का उल्लेख किया है, और यह कहा है कि अविकास एवं अभाव के लिए सकारात्मक कार्यवाही की जरूरत है। नीति का अर्थ है संस्थाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत जो कि संगठनिक औचित्य के लिए आवश्यक है। नीति न्याय व्यापक, यथार्थवादी और समावेशी दृष्टि का परिचालक है। यह इस बात का प्रतीक है कि क्या हासिल करना संभव है। यह अन्याय रोकने का ही तरीका है बजाय कि किस प्रकार न्याय प्रदान किया जाये। अमर्त्य सेन लैंगिक अन्याय पर विशेष ध्यान देते हैं। वे महिलाओं के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कष्टों को समाप्त करने तथा उन्हें विकास में किस तरह से शामिल किया जा सकता है इसकी वकालत करते हैं। सेन (और महबूब हक) के विकास के मॉडल ने कुछ देशों की नीतियों को प्रभावित किया है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ 1989 से मानव विकास रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन कर रहा है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के विकास का स्तर दिखाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट की तुलना में ज्यादा व्यावहारिक एवं विस्तृत है।

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) विकास की विभिन्न अवधारणाओं को राजनीति वैज्ञानिकों, समाज-शास्त्रीयों एवं अर्थशास्त्रीयों द्वारा किस प्रकार वर्णित किया गया है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) विकास के प्रतिमान में वृद्धि और मानव विकास के बीच क्या अंतर है?

.....

.....

.....

.....

14.3 सकारात्मक कार्यवाही, लोकहित और विकास

हम सब जानते हैं कि भारत में गरीबी, जाति और लिंग आधारित भेदभाव जैसी आर्थिक और सामाजिक विषमताऐं है। सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है, सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से उपेक्षित समुदायों के कल्याण और विकास के लिए राज्य द्वारा नीति का पहल करना। एडवर्ड जे. केल्फ (Kellough) ने अपनी पुस्तक 'अन्डरसटैंडिंग ऐफ्रमेंटिव एक्शनः पॉलिटिक्स, डिस्क्रीमिनेशन, एण्ड दि सर्च ऑफ सोशल जस्टीस' में सामाजिक न्याय को परिभाषित किया और कहा कि इसका उद्देश्य जातीय या लिंग आधारित भेदभावों के खिलाफ रोजगार एवं शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। इस प्रकार सकारात्मक कार्यवाही का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, या रोजगार के अवसरों की कमी को दूर करना है। यह वंचित समूहों के लिए विभिन्न नीति के रूप में विशेष अवसर सृजित करके पुनर्वितरण न्याय प्रदान करता है। सकारात्मक कार्यवाही में राज्य द्वारा नीतिगत पहल शामिल है जैसे कि नौकरियों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं में आरक्षण और वंचित वर्गों जैसे एस.सी., एस.टी, ओ.बी.सी., महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों जिनमें मुख्यतः उच्च जाति शामिल है उनको सार्वजनिक संस्थाओं में नौकरी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना। आपने आरक्षण के बारे में इकाई संख्या 13 में सकारात्मक कार्यवाही के रूप में पढ़ा है। जिसमें सकारात्मक कार्यवाही का मतलब गरीबी और अन्य भेदभाव मिटाने के लिए पहल भी शामिल है। इस प्रकार सकारात्मक कार्यवाही में लोगों के कल्याण के लिये सार्वजनिक नीतियां शामिल है। यह वृद्धि, वितरण तथा मानव विकास के संदर्भ में विकास का मार्ग प्रषस्त कर सकता है।

14.3.1 सकारात्मक कार्यवाही के लिए सांविधानिक प्रावधान

इकाई का यह उपखण्ड विशेष रूप से सकारात्मक कार्यवाही के बारे में संवैधानिक उपबंधों पर केन्द्रित है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में वृद्धि, सामाजिक कल्याण और मानव विकास हो सकते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने सकारात्मक कार्यवाही के लिये विकल्प चुना तथा राज्य को समय-समय पर इस दिशा में प्रभावी नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया। जैसा कि आपने जो कोर्स BPSC-102 में इकाई संख्या 4 में मौलिक अधिकारों तथा इकाई सख्या 5 में नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ा होगा, भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के प्रावधान दिये गये हैं। विशेषतौर पर इन प्रावधानों में एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी., अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विकास पर ध्यान दिया गया है। वंचित वर्गों या समुदायों के विकास के लिए प्रावधानों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

1) **शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा (संरक्षण)** - राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कमजोर वर्गों विशेषकर एस. सी., एस.टी. के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान रखे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करे। पाँचवी और छठी अनुसूची अधिकारों, संस्कृति एवं रीति-रिवाज की रक्षा का प्रावधान करती है। पाँचवी अनुसूची पहाड़ी एवं तटीय आदिवासियों के बारे में है जबकि छठी अनुसूची मेघालय, त्रिपुरा एवं असम के कुछ पहाड़ी भागों के आदिवासी के बारे में है।

2) **सामाजिक सुरक्षा** - अनुच्छेद 17 (मूल अधिकार) में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है तथा यह अब दण्डनीय है। इसी वजह से 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पारित किया गया तथा 1989 में एस.सी., एस.टी. (अत्याचार रोकथाम कानून) पारित किया गया था। राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इन कानूनों को

लागू करने की जिम्मेदारी है। इस कार्य के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक रोजगारों में काम करने पर पाबंदी लगाई गयी है। सबसे वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए नये कानून भी पारित किये गये है। इसमें सबसे प्रमुख है 2013 में प्रोहिबिसन ऑफ एम्पलायमेंट एज मेनुअल स्केवेंजर एण्ड दियर रिहेबिलिटेशन एक्ट पारित मैला ढ़ोने पर पाबंदी तथा उनके लिए पुर्नवास की व्यवस्था करना। इसका उद्देश्य है मैला ढ़ोने वाले की पहचान करना और उनका पुनर्वास करना तथा शौचालयों में मल साफ करने पर पाबंदी लगाना, सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक हस्तगत सफाई पर रोक लगाना इत्यादि।

3) **आर्थिक सुरक्षा** - अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के लिये विशेष आर्थिक सुरक्षा उपाय किये गये है। ऐसे राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियां दी गयी है। इन राज्यों के पास जनजातिय क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण और आवंटन के विनियमन तथा उनमें कारोबार के विनियमन से संबंधित विरोध प्राधिकरण युक्त जनजातिय सलाहकार परिषद (टीएससी) निकाय है। इसके अलावा यह टी.ए.सी. उनके क्षेत्रों में जनजातियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी कानून बना सकती हैं। यह विषय हैं - जैसे वन, जन-स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई, संपत्ति का मालिकाना हक, विवाह एवं सामाजिक रीति-रिवाज। इन राज्यों को अपने विकास के लिये विशेष विशेषकर भारत की संचित निधि से अनुदान भी आवंटित किया गया है। जैसा कि पता है आदिवासी इलाकों में सुविधाओं की भारी कमी है इसलिए संविधान के अनुसार इन्हें विशेष सहायता प्रदान की गयी है। अनुच्छेद 339 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह आदिवासी समुदायों कल्याण के लिये एक आयोग का गठन करे जो इसके कल्याण के लिए प्रशासन को सलाह दे सके।

4) **राजनीतिक संरक्षण** – संविधान में राजनीतिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विशेष प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 330 में लोक सभा में एस.सी. और एस. टी. के लिए सीटें आरक्षित की है तथा अनुच्छेद 334 के अनुसार विधान सभा में भी सीटें आरक्षित की हैं। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी एंग्लो भारतीय समुदाय से लोक सभा में नियुक्त कर सकता है। पंचायतों तथा जिला परिषदों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसमें अनुच्छेद 243-डी में एस.सी, एस.टी. एवं महिलाओं (एक तिहाई) को आरक्षण दिया गया है। यह अनु. संविधान में 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है।

5) **रोजगार एवं शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण** – संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान दिया है। लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उपबंध करने वाले अनु. 16 में नागरिकों के समान अवसर का प्रावधान है तथा सेवाओं में नियुक्तियों और पदो ंके आरक्षण के लिए विशेष खंड में प्रावधान किया गया है। उसी खंड के अनु. (4) क में एस.सी., एस. टी. के लिए सरकारी सेवाओं के भीतर पदोन्नति के मामलों, में आरक्षण का प्रावधान है। केन्द्रिय संस्थानों में एस.सी., एस.टी. के लिए 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 29.5 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। हालाँकि संविधान में ये प्रावधान एस.सी., एस.टी. के लिए पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ये प्रावधान 1993 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद किया गया। हालांकि मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यानवयन से पूर्व अनेक राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण अस्तित्व में था।

14.4 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास

14.4.1 भारत के विकास का ढाँचा (Model)

भारत में विकास के मॉडल की नींव नेहरू के मॉडल ने रखी थी। इस मॉडल के तहत् विकास की प्रक्रिया में राज्य एवं निजी क्षेत्र दोनों एक साथ भाग लेने की जरूरत है। इस मॉडल में राज्य या सरकार ने प्रमुख भूमिका निभाई है। हमारे संविधान के समरूपी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने समय-समय पर अनेक कल्याणकारी नीतियां आरंभ की जो विभिन्न वर्गों, जैसे एस.सी., एस.टी. अन्य पिछड़े वर्ग इत्यादि के कल्याण के लिए लक्षित थी। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण और उत्थान करना है। ऐसी नीतियां केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती है ताकि गरीबी, आर्थिक असमानता और जाति तथा लिंग संबंधी असमानता पर आधारित भेदभाव को दूर करके समतावादी समाज की स्थापना की जा सके। इनमें से कुछ नीतियां केन्द्र द्वारा और कुछ राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गयी है। इन्हें या तो केन्द्र द्वारा निधिकरण किया जाता है या केन्द्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से निधिकृत करती है। उनमें से कुछ का प्रवर्तन केन्द्र सरकार की वित्तिय सहायता से विशेष रूप से राज्य सरकारें करती है। विकास के नेहरू मॉडल की कुछ सीमाऐं थी। नेहरू मॉडल (1950-1980 के दशकों में) के संचालन की अवधि के लाइसेंस परमिट राज के रूप में भी जाना जाता है। लाइसेंस परमिट राज में राज्य की भूमिका को आम तौर से नियामक के रूप में देखा जाता है। एक व्यापारिक फर्म को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए सरकारी एजेंसियों से लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित था। इससे व्यवसाय शुरू करने में काफी वक्त लगा एवं भ्रष्टाचार भी बढ़ा। केन्द्र सरकार ने 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सुधार लागू किये जिसे हम उदारीकरण के रूप में जानते हैं। इन सुधारों के अंतर्गत राज्य के नियंत्रण में कमी आयी। अपनी पुस्तक ''डेमोक्रेसी एन्ड डेवल्पमेंट'' में कोहली ने यह दलील दी कि सुधारों के प्रभाव के अंतर्गत राज्य की नीतियां व्यवसाय के प्रति समर्पित है जो कि समाजवाद के विपरीत है। यह कार्य इंदिरा गांधी एवं राजीव गाँधी सरकारों के समय से ही शुरू हो गया था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गरीबी एक सबसे बड़ा पहलू रहा है जहाँ पर लाखों लोगों की कमाई प्रतिदिन 100 रूपये से भी कम है। करीब आधे बच्चे भारत में कुपोषण के शिकार है। असमानता के कारण गरीबी उन्मूलन पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। इससे गरीबी दूर नहीं हुई। जबकि सुधारवादी युग में केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कई-कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी।

14.4.2 कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा विकास

भारत में केन्द्रिय और राज्य सरकारों ने आजादी के बाद से अनेक कल्याणकारी नीतियां शुरू की। इनमें से कुछ नीतियों को केन्द्र सरकार ने, कुछ राज्य सरकारों ने और कुछ केन्द्र और राज्य दोनों ने संयुक्त रूप से शुरू की थी। वास्तव में 1971 के चुनावों में गरीबी हटाओं के नारे के साथ गरीबी, भारत में राजनीतिक और नीति ऐजेंडा के केन्द्रिय प्रयासों में एक बन गयी थी। अपनी सकारात्मक कार्यवाई रणनीति के तहत् इस नीति में एस.टी., एस.टी. के बच्चों के लिये माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन दिये है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैः निर्धन एस.सी., एस.टी. के परिवारों के लिये प्रोत्साहन, राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि में संशोधन करना, साफ सफाई जैसे व्यवस्थाओं में लोग परिवारों के सभी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, एस.सी. एस.टी. के शिक्षकों की भर्ती में वृद्धि तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों के लिए शिक्षा के बुनियादी ढ़ाचें में सुधार इत्यादि शामिल

है। बीस सूत्री कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है जिसने आपातकालीन युग के दौरान शुरू किया गया था। इसके तहत रोजगार सृजन (मनरेगा), काम के बदले अनाज तथा जन-धन योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन इत्यादि शामिल किया गया है।

मनरेगा (महात्वा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कानून) 2005, विश्व का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह सरकार को 100 दिन की मजदूरी देने के लिए बाध्य करता है और जिम्मेदारी भी लेता है। इस कार्यक्रम के तहत काम करने की योजना स्थानीय समुदाय या पंचायत द्वारा की जाती है। खर्च किये गये पैसे के रिकार्ड और मनरेगा के तहत किये गये काम को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करना होगा। मनरेगा ने आर्थिक सशक्तिकरण में ही अपना योगदान नहीं दिया बल्कि इसने राजनीतिक जागरूकता, आत्मविश्वास, पारगमन पर रोक भी लगाई है। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत् एक दिन की कमाई के कारण एक गरीब परिवार को दो सप्ताह तक दो समय का पर्याप्त भोजन उपलब्ध हुआ। रितिका खेड़ा ने अपनी पुस्तक ''द बैटल फार एम्पलोपमेंट (Employment) गारंटी'' (2011) में यह उल्लेख किया कि मनरेगा ने श्रमिकों को अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाने से रोका क्योंकि अब यह उनके गांवों में या उसके आस-पास उपलब्ध है। मनरेगा के तहत् मिलने वाली मजदूरी से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया है। इसकी लाभार्थी कम से कम एक तिहाई महिलाऐं होनी चाहिए। जीन ड्रेज और ए.के. सेन (2015) ने अपनी पुस्तक ''इकॉनोमिक डेवेल्पमेंट एंड सोसल ऑप्रच्युनिटि' में यह तर्क दिया है कि कई असमानताओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है। उन्होंने लेकिन यह रेखांकित किया कि अज्ञानता, गरीबी, बीमारी और अन्य कमियों को दूर करने के लिये बहुत कुछ किया जाना चाहिये। आयु के अनुरूप मृत्युदर में कमी आई है। जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है, जो 1995 में 60 साल थी जबकि 1947 में यह करीब 30 वर्ष थी। भारत में आजादी के बाद जीवन के अन्य पहलुओं जैसे कि जीवन यापन की स्थिति, प्रारंभिक शिक्षा, पोषण संबंधी विशेषताओं, बीमारी से बचाव, सामाजिक सुरक्षा और खपत के स्तर पर भी प्रगति की गई है। पनगड़िया और अन्य (2013) में अपने अध्ययन में यह दर्शाया कि अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गयी है। यह 2009-10 में 40.6 प्रतिशत थी जबकि 2010-11 में घटकर 29.4 प्रतिशत रह गयी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की संख्या भी घटकर 45.3 प्रतिशत से 43 प्रतिशत रह गयी उसी दौरान। हालांकि इन वर्गों एवं उच्च जाति के बीच की दूरी काफी अधिक है। जनवरी 2019 में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर उच्च जातियों के गरीबों के लिए सरकारी संस्थाओं तथा रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पारित किया था। यह मौजूदा एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. आरक्षण से ऊपर है। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक जो कि इंदिरा साहनी के केस में इस कोटे की सीमा 50 प्रतिशत रखी है। नयी विधायिका आर्थिक आधार पर सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इनमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा ''काम के बदले अनाज'' योजना शामिल है। तमिलनाडु में भी ''अम्मा केंटीन'' ऐसा ही उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने भी ''अंबडेकर गाँव कार्यक्रम शुरू किये थे। अंबेडकर गाँव कार्यक्रम के तहत उन गाँवों को प्राथमिकता दी गयी जिनमें दलितों की जनसंख्या अधिक हो।

अतुल कोहली ने अपनी किताब ''दी स्टेट एंड पावरटी'' में यह तर्क दिया कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता 1970 एवं 1980 के दशकों में यू.पी., कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वहाँ के नेतृत्व, संगठन और विचारधारा पर आधारित था। अन्य पुस्तक ''पावर्टी अमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया'' (2011) में भी अतुल कोहली ने भारत के राज्यों में

विकास से संबंधित नीतियों के क्षेत्रीय अंतर को दिखाया है। इन राज्यों को नव-पितृ सत्तात्मक, सामाजिक-जनतंत्र एवं विकासवादी राज्यों के रूप में पहचान जा सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश का नामकरण नव-पितृसत्तात्मक के रूप में किया गया है। इन राज्यों में इस प्रकार के कारण है जैसे अधूरा संस्थानीकरण मंत्रियों से घिरे हुए एक ही नेता का प्रभुत्व, संरक्षक किस्म के संबंधों की बहुलता, नौकरशाही का राजनीतिकरण, विकसित राजनीतिक समर्थन के लिए प्रतीकात्मक अपील, व्यक्तिगत और संकीर्ण लाभों के लिए जन-संसाधनों के इस्तेमाल से विकास का लाभ कम हो रहे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे सामाजिक-लोकतांत्रिक राज्यों (2010 तक) में राजनीति को निम्न जातियों और वर्गों की लामबदीकरण से चिन्हित किया गया है। वाम दलों की उपस्थिति से समाजवादी लोकतांत्रिक सत्ता गुट के रूप में सुव्यवस्थित समर्थन शामिल है। पश्चिम बंगाल में इससे काष्तकारी सुधार हुए। हालांकि पश्चिम बंगाल में इसकी मिली-जुली सफलता मिली। इससे यह पता चलता है कि पुनवितरण की सफलता की संभावना अधिक है जब सरकारी शक्ति व्यापक राजनीतिक आधार पर टिकी हुई है जहाँ उच्च जातियों और वर्गों का क्षेत्रीय राज्य पर कम से कम प्रभाव पड़ता है ऐसे क्षेत्र में सामाजिक-लोकतांत्रिक राज्य गरीबों की सहायता के लिए इस सत्ता या शक्ति का प्रयोग करते हैं। विकासकारी राज्यों में सरकार ने व्यापार समूहों के साथ मिलकर विकास को बढ़ावा दिया। ऐसे राज्य हैं कर्नाटक, गुजरात, आंध्र-प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। कर्नाटक, गुजरात और आंध्र-प्रदेश में सरकारों ने विनिर्माण और सेवा उद्योगों को बढ़ावा दिया है। पंजाब और हरियाणा में उन्होंने कृषि एवं कृषि-संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया।

14.5 विकास के समझ चुनौतियां

भारत में विकास के एजेंडे को सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से निर्माण कार्यान्वयन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें भ्रष्टाचार तथा पारदर्शिता का अभाव, सुधार के दौरान राज्य की भूमिका में कमी, गरीब लोगों में जागरूकता का अभाव तथा दलालों एवं एजेंटों की भूमिका शामिल है। हालांकि (RTI) सूचना के अधिकार के उपयोग से सरकारी नीतियों से संबंधित जानकारी के बारे में लोगों की पहुँच काफी हद बढ़ी, यह कई मामलों में भ्रष्टाचार को रोकने में उपयोगी नहीं रही है। समाज में उपेक्षित समुदायों के सशक्तिकरण तथा विकास के लिये चलाई जाने वाली सामाजिक योजनाऐं प्रायः उन तक नहीं पहुँचती है। यह विधियों के कुप्रबंधन और सकारात्मक कार्यवाई नीतियों के प्रति पारदर्शिता के अभाव के कारण होता है। खासकर, गाँवों के स्तर पर और भी गंभीर समस्या हो जाती है जब वहाँ संचार माध्यमों की कमी हो, अज्ञानता हो तथा भ्रष्ट नौकरशाह एवं बिचौलिये के बीच गठजोड़ हो।

राज्य की भूमिका के पतन के साथ-साथ बाजारी शक्तियों की बढ़ती भूमिका ने गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सार्वजनिक क्षेत्र का सिकुड़ना और निजी क्षेत्र का विस्तार इसका उदाहरण है। निजीकरण की दिशा को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में नियंत्रित किया जा सकता है। इस संबंध में, अश्विनी देशपांडे ने अपने अध्ययन (2008) में अनुसूचित जातियों के प्रति श्रम बाजार का भेदभाव के अनेक उदाहरणों की पहचान की है। ये भेदभाव मजदूरी विभेद, अनुचित भाड़े की पद्धतियों के रूप में होता है। निजीकरण ने सरकारी उद्यमों में वंचित वर्गों पर दो तरह से प्रभाव डाला है। पहला, अच्छे रोजगार के अवसर में कमी और तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट उद्योग में असंगठित श्रमिकों की वृद्धि, तथा दूसरा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के निजीकरण से यह आम नागरिकों के लिए वंछनीय और अप्राप्त हो गया है।

अभ्यास प्रश्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) नेहरूवादी विधि की क्या विशेषताऐं थी?

.....

.....

.....

.....

.....

2) समाजवाद से व्यवसायवाद की तरफ नीतियों के सुझाव का क्या आशय है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) कल्याणकारी नीतियों के समक्ष क्या चुनौतियां है?

.....

.....

.....

.....

.....

14.6 सारांश

भारत में सकारात्मक कार्यवाई और कल्याणकारी नीतियां विकास का महत्वपूर्ण मॉडल है। भारत में इस प्रकार का ढाँचा सामाजिक और आर्थिक विविधताओं को दूर करने तथा लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक है। इस दिशा में राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता के बाद से एक अहम भूमिका निभाई है। राज्य ने कई नीतियां अपनाई जिसका उद्देश्य था गरीबी हटाना, अस्पृश्यता को समाप्त करना, तथा लिंग विभेद को काफी हद तक समाप्त करना इत्यादि। लेकिन आज भी गरीबी, सामाजिक असमानता एवं लिंग भेदभाव जारी हैं। इसका प्रमुख कारण है कुछ गंभीर चुनौतियां जैसे भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता जो कि विकास में बाधा बन गया है। 1990 के दशक से विकासवादी नीतियों जो राज्य द्वारा शुरू की गयी थी उसे बाजार ने नियंत्रित कर लिया है। इसने राज्य की भूमिका को कम कर दिया है जिससे वंचित वर्ग के लोगों के लिये कल्याणकारी नीतियों पर प्रभाव पड़ा है। भारत में विकास वृद्धि केन्द्रित माना जाती है, हालांकि कल्याणकारी नीतियां केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर जारी है और इन नीतियों ने गरीबों को काफी फायदा पहुँचाया है।

14.7 संदर्भ

अस्तेकर, श्याम, ''द् नेशनल रूरल हेल्थ मिषनः ए स्टोक टेकिंग'', ई.पी.डब्ल्यू, सितंबर, 13-19, 2008, 43 (37).

बसु, कौशिक, (1982), ''फूड फोर वर्क'', सम इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल कंसीवकेनसेज, ई.पी.डब्ल्यू, मार्च।

देशपांडे, अश्विनी, ''क्वेस्ट फोर इक्वेलिटी'' अफरमेटिव एक्शन इन इंडिया, इंडियन जर्नल ऑफ इंडास्ट्रियल रिलेशंस, अक्टूबर, 2008, 44 (2)

ज्यां ड्रेज, एन्ड सेन, अमर्तय (1995), इंडियाः इकोनॉमिक डेवल्पमेंट एन्ड सोशल अपोरचुनिटी, ओ.यू.पी. दिल्ली।

गोल्डिन, इयान, (2018), ''डवलपमेंट'' ए वैरी शोर्ट इंट्रोडक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,

हसन, जोया, (2011), ''पोलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन, कॉस्ट्स, माइनोरिटिज एन्ड अफरमेटिव एक्शन, नई दिल्ली, ओ.यू.पी.

किलघ, एडवर्ड, (2016), अफरमेटिव एक्शनः पोलिटिक्स डिस्क्रीमिनेशन, एण्ड सर्च फोर जस्टिस, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी प्रेस.

खेड़ा, रितिका, (2011), द् बैटल फोर एम्पलोयमेंट गारंटी, ओ.यू.पी. दिल्ली।

कोहली, अतुल, (2012), पोवर्टी अमिड पोवर्टी इन न्यू इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस,

कोहली, अतुल, (1987), द स्टेट एन्ड पोवर्टी इन इंडियाः एन एनालिसस ऑफ चेंजिंग स्टेट-सोसाइटी रिलेशंस, प्रिसंअन यूनिवर्सिटी प्रसे,

लेज, कोलिन, (1977/1996), द राइज एण्ड फाल ऑफ डवलपमेंट थ्योरी, इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन.

पाई, सुधा, (2002), दलित असर्सन एन्ड अनफिनिस्ड डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनः द् बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश, सेज, नई-दिल्ली।

पनगड़िया, अरविंद, एन्ड विशाल मोरे, ''पोवर्टी बाई सोसियल रिलिजियस, एन्ड इकोनोमिक ग्रुफ इन इंडिया एन्ड इट्स लाइजेस्ट स्टेट्स, 1993-94 टू 2010-12, वार्किंग पेपर स्कूल ऑफ इंटर नेशनल एन्ड पब्लिक अफेयर्स, इंस्टीटयूट फोर सोसियल एन इकोनोमिक रिसर्च एन्ड पोलिटनी, कोलांबिया यूनिवर्सिटी.

रोस्टो, डब्ल्यू-डब्ल्यू, (1990), 'द स्टेजेग ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, ए नॉन-कम्यूनस्टि मेनिफेस्टो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।

सेन, अमर्तय (1999) ''डवलपमेंट एज फ्रीडम'', ओ.यू.पी. दिल्ली।

सेन, अमर्तय (2009), ''द आइडिया ऑफ जस्टिस, हार्वड यूनिवर्सिटी प्रेस.।

टिलिन, लूइस, देशपांडे, राजेश्वरी, कैलाश (के.के.), (2015), पोलिटिक्स ऑफ वेलफेयरः कम्पेरिजन अक्रोस स्टेट्स, ओ.यू.पी., नई-दिल्ली।

14.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्रीयों ने विकास को अलग परिप्रेक्ष्य में देखा है। उनके अनुसार विकास समाज के एक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ऐसा परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के बीच वाद-विवाद होता है एवं आधुनिक सामाजिक राजनीतिक मूल्यों एवं संस्थाओं के बीच संवाद होता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास का मतलब है वृद्धि, संसाधनों का पुनवितरण तथा मानवीय क्षमताऐं।

2) वृद्धि किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पादन के बारे में है। तथा मानव विकास का संबंध मानवीय क्षमताओं में विकास से है, जिसमें शिक्षा प्राप्त करना, स्वास्थ्य में सुधार तथा अन्य जरूरतों को पूरा करना शामिल है।

अभ्यास प्रश्न 2

1) नेहरूवियन विकास के मॉडल में राज्य एवं निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से अपनी भूमिका निभाते है जिसमें राज्य की अग्रणी भूमिका होती है। इस मॉडल के तहत् राज्य ने समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए कई कल्याणकारी नीतियाँ लागू की है।

2) समाजवाद से व्यवसायवादी की ओर अग्रसर होना यह संकेत देता है कि नेहरूवादी मॉडल से अलग होना जहाँ पर राज्य के अग्रणी भूमिका निभाई थी, जिसमें निजी क्षेत्र ने नीतियाँ बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी।

3) कल्याणकारी नीतियों के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौतियां है भ्रष्टाचार, पारदर्शिता में कमी, जनता की चेतना में कमी, विचौलियों की भूमिका, समुचित धन की कमी तथा सूचना के अधिकार का कई मामलों में प्रभाव दिखाई नहीं देना इत्यादि।

संदर्भ ग्रंथ

बटब्याल, राकेश (2005) *कम्यूनलिज्म इन बंगालः फ्रॉम फेमीन टू नोआखली, 1943-47,* न्यू दिल्लीः सेज पब्लिकेषन।

बेली, सुसान (1990) *द् न्यू कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडियाः कास्ट, सोसाइटी एण्ड पोलिटिक्स इन इंडिया फ्रोम द् 18वीं सेन्चुरी टू द मॉडर्न एज.* कैम्ब्रिजः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

भार्गव, राजीव (एड.) 1999, *सेकुलरेज्मि एण्ड इट्स क्रिटिक्सः* न्यू दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

ब्रास, पॉल (1985) *कॉस्ट, फेक्शन एण्ड पार्टी इन इंडियन पोलिटिक्स,* न्यू-दिल्ली, चाणक्य प्रकाशन।

चडोक नीरा, (1999) *बियोन्ड सेकुलेरिज्मः द् राइट्स एण्ड रिलिजियस माइनोरिटिज,* न्यू दिल्ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

चंद्रा, के. (2004) *व्हाई एथनिक पार्टीज सक्सीडः पेट्रानेज एण्ड एथनिक हैड काउन्ट्स इन इंडिया,* कैम्ब्रिजः कैंम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

छिब्बर के, प्रदीप एण्ड राहुल वर्मा (2018) *आइडोलोजी एण्ड आइडेंटिटीः द् चेंजिंग पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया.* न्यू दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

डागर, रेणुका (2015) 'जेन्डर नेरेटिव्ज एण्ड इलैक्शन, मेनडेट फोर सेफ्टी, डवलपमेंट, और राइट्स'?, इन एडिटेड पॉल वैलस, *इंडिया 2014 इलैक्षन, ए - मोदी लेड बी.जे.पी स्वीपः* न्यू दिल्लीः सेज प्रकाशन।

देशाई, पी.आई. (1967) कास्ट एण्ड पोलिटिक्स *ई.पी.डब्ल्यू.,* वाल्यूम 2(17):797-799।

हरारी, नौह युवल (2018) *21 लैशंस फोर द 21वीं सेंचुरी,* लंदनः जोनाथन केप।

हसन, जोया (1998) *क्वेस्ट फोर पॉवरः अपोजीशनल मूवमेंट एण्ड पोस्ट कॉंग्रेस पोलिटिक्स,* न्यू-दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

हसन, जोया (2012) *कॉंग्रेस ऑफ्टर इंदिरा पोलिसी पॉवर, पोलिटिकल चेंज (1984-2009)।* न्यू दिल्ली, इंडियाः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

हसन, जोया (2000) *पोलिटिक्स एण्ड द् स्टेट इन इंडिया,* न्यू-दिल्ली, इंडियाः सेज पब्लिकेशन।

हसन, जोया (2002) *पार्टीज एण्ड पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया।* न्यू दिल्ली, इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

जैफरलो, क्रिस्टोफे (2003) *इंडियाज साइलैंट रिवोल्यूशन, द राइज ऑफ द लो कास्ट्स इन नोर्थ इंडियन पोलिटिक्स,* रानीखेत, परमानेंट ब्लैक।

जैफरलो, क्रिस्टोफे एण्ड संजय कुमार (2009) *राइज आफ द प्लेबियन? द् चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिसलेटिव असेंबलिग,* न्यू-दिल्लीः राउटलेज।

कोठारी, रजनी (1970) *कास्ट इन इंडियन पोलिटिक्स,* न्यू-दिल्लीः ओरियंट लोंगमैन लिमिटिड।

कोठारी, रजनी (1982) *पोलिटिक्स ऑफ इंडिया,* न्यू दिल्ली, ओरियंट ब्लैक स्वान।

महाजन, गुरप्रीत एवं अन्य (2019) *रीडिंग इंडिया सेलेक्सन फ्रोम ई.पी.डब्ल्यू.* न्यू दिल्ली, ओरियंट ब्लैक स्वान।

मैनर, जेम्स (2002) पार्टीज एण्ड द् पार्टी सिस्टम इन द् एडिटेड बुक *पार्टीज एण्ड पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया* बाइ जोया हसन, न्यू दिल्लीः आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. पेज 431-474।

मेहता, भानू प्रताप (2003) *द् बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी.* इंडिया पेंग्यूईन बुक्स।

ओटकेन, जैनीफर (2009) काउन्टर, इनसरजेंसी अगेंस्ट नैक्सेलाईट इन इंडिया, इन सुमीत गाँगुली एण्ड डेविड पी फील्डर, *इंडिया एण्ड काउन्टर इनसरजेंसीः लैषंस लर्नड,* लंदनः राउटलेज।

ओमवेट, गेल (1994) काँषीराम एण्ड बहुजन समाज पार्टी, इन के. एल. शर्मा, *कास्ट, एण्ड क्लास इन इंडिया',* जयपुर, रावत प्रकाशन।

पालसीकर, सुहास, कुमार, संजय एण्ड संजय लोढ़ा, (2017) *इलैक्टोरल पोलिटिक्स इन इंडिया रिसजेंस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी,* न्यू दिल्लीः राउटलेज।

ब्रास, पॉल (1990) *पोलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंड्स'* कैंम्बिज, यूकेः क्रेंम्बिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

फड़नीस, उर्मिला एण्ड गाँगुली, रजत (2001) *एथनीसिटी एण्ड नेशन-बिल्डिंग इन साउथ एषिया,* न्यू दिल्लीः सेज।

रूस्तोमजी, नारी (1983) *इम्पेरिल फ्रंटीयरः इंडियाज नोर्थ-इस्टर्न बोर्डालण्डस,* दिल्ली ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

शाह-घनश्याम (2015) मेगा मारकेटिंग एण्ड मेनजेमेंटः गुजरात 2014 इलैक्शनः सेज प्रकाशन दिल्ली।

शाह, घनश्याम (2002) *कास्ट एण्ड डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स इन इंडिया,* नई दिल्लीः परमानेंट ब्लैक।

शास्त्री, संदीप, सूरी, के.सी. एण्ड यादव, योगेन्द्र (2009) *इलैक्ट्रोरल पोलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्सः लोक सभा इलैक्शनस इन 2004 एण्ड वियोन्ड.* न्यू दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.